, , ,

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर न्य किम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./2022-23/ 4198 राजरपाः गाम्या अप्रमुवसं / लेखा / व.आ. / 2022-23 / 4198

बजट आवंटन आदेश– 19

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या- 44 : (ii) Creation of New Nursery में निम्न वर्ष 2022–23 की स्वायूण नगर हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को **IFMS** के माध्यम से निम्न वजट मद में वजट आवंटन आवंटत कार्य को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को **IFMS** के माध्यम से निम्न वजट मद में वजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-- ,

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife 04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present value of forest land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रू. लाखों में)

APO Item No. 44 : (ii) Creation of New Nursery

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Budget Allotment		
		Physical Targets (Nos.)	Total Amount (@ 15.00 lacs per no)	Site Details
1.	उ.व.सं. अजमेर	1	15.00000	Arwar (Ajmer) N26'09'28'' E74'55'15'
2.	उ.व.सं. अलवर	1	15.00000	चिमरावली (रेंज-लक्ष्मणगढ)
3.'	उ.व.सं. उदयपुर	1	15.00000	Tokar 23'59'20'' 73'48'46''
4.	उ.व.स. वन्य जीव राजसमंद	1	15.00000	
1	योग '	' 4	60.00000	

- 1 Prior to implementation of above activities, the DCFs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan.
- 2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ. / 2022–23 / कैम्पा / अप्रमुवसं / 2915–27 दिनांक 18.05 2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 3 उक्त आवंटन के विरूद्ध नर्सरी में पक्के बेडस तथा पक्का निरीक्षण पाथ निर्माण एवं बिजली का बिल पर व्यय नहीं किया जावें।
- 4 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मुद्र के अर्न्तगत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 5 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- ए.पी.ओ. वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित कार्यो पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी 6 परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरूद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य 7 समर्पित कर दी जावे।

- आबंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना 8
- आवंटित राशि जिस उददेश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उददेश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जाव 9 तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे।समस्त कार्य्य क लेखा 👳 10 अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखां कॉर्पारेट अकाउटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के 11 कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्यंक माह 12 की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- बजट उपयोग के संबंध में समय–समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना 13 की जांवे।
- कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावें जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार क कार्य प्रस्तावित नही हा 14 जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज, लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधान 15 के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावें एवम विभाग की प्रचलित प्रद्वति अनुसार लेखा-ंजोखा रखा जावेगा।
- कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सुची मय GPS Coordinates के ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा 16 सचना भिजवाना सुनिष्टिचत किया जावे।

Shin (शिखा मेहरा) अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) राजस्थान, जयपुर।

दिनाक 13 06 / 2022

क्रमाकः एफ 14(_)कम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/बआ/2022-23/ **५)99 — 210** प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर । 1
- मुख्य वन संरक्षक –अर्जमेर/जयपुर/उदयपुर/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय–समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया 2 जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चंत करवायें।
- उप वन संरक्षक- अजमेर/अलवर/उदयपुर/वन्य जीव राजसमंद। 3
- सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन मे 4 संकलन किये जाने हेतु।
- सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली। 6

5

जूप वन संरक्षक (कैम्पा) • राजस्थान, जयपुर।